संख्या- 123 /2017 / 3686 /चार-2017- 169 (वि0)/ 2017

प्रेषक,

लुटावन राम
उप सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 21 दिसम्बर , 2017

विषय:- 05 दिवसीय (दिनांक 20-24 दिसम्बर, 2017) बिठूर महोत्सव के आयोजन में दिनांक 21-12-2017 को सुश्री अनुराधा पौडवाल के कार्यक्रम की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2657/सं0नि0-15(4)/2017-18 दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 05 दिवसीय (दिनांक 20-24 दिसम्बर, 2017) बिठूर महोत्सव के आयोजन में दिनांक 21-12-2017 को सुश्री अनुराधा पौडवाल के कार्यक्रम हेतु रू0 5.50 लाख की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त रू0 5.50 लाख (रूपये पॉच लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, कानपुर के निर्वतन पर रखे जाने हेतु निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियामानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों पर व्यय विवरण , बिल बाउचर्स आदि सत्यापित कर उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि रू0 5.50 लाख (रूपये पॉच लाख पचास हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति -आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-42 -अन्य व्यय में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,
(लुटावन राम)
उप सचिव

संख्या- 123 /2017/3686 /चार-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, कानपुर।
3- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(लुटावन राम)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/